

पत्र संख्या:-15/सी 2-146/2015-1072  
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

कमलेश झा,  
उप-निदेशक(उच्च शिक्षा)  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कुलसचिव,  
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक.....10/6/2015


विषय:- सी०डब्लु०जे०सी०संख्या 6334/2015 कृष्ण नन्दन सिंह बनाम मगध विश्वविद्यालय  
एवं अन्य।

प्रसंग- विभागीय पत्रांक-993 दिनांक-22.05.2015  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगानुसार कहना है कि विषयांकित वाद कृष्ण नन्दन सिंह के द्वारा बेसिक पेंशन का पुनर्निर्धारण करते हुए पूर्ण पेंशन का भुगतान करने के लिए दायर किया गया है जो आपके विश्वविद्यालय से संबंधित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वाद से संबंधित तथ्य विवरणी दो दिनों के भीतर विभाग को भेजने की कृपा की जाए ताकि उक्त आधार पर विभाग की ओर से माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर किया जा सके।

विश्वासभाजन,

  
उप निदेशक(उच्च शिक्षा)  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना